(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 47—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—12—2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 205/1999—2000/अपील

.....

1— हरनाथ सिंह,
2— अर्जुन सिंह,
3— गजराज सिंह पुत्रगण श्री लालजी राम
निवासीगण —ग्राम ओखलीखेड़ा,
तहसील—लटेरी जिला—विदिशा (म0प्र0)
4— हल्कू
5— खूबा चमार पत्रगण नौनीता निवासी—ग्राम
बन्दीपुरा तहसील—लटेरी जिला—विदिशा (म0प्र0)
6— ओमकार पुत्र श्री रामलाल किरार निवासी—ग्राम
बन्दीपुरा तहसील—लटेरी जिला—विदिशा (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

.....अनावेदक

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शासकीय अभि0अना0

.....

आदेश

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 205/1999—2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 22—12—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ओखलीखेड़ा में स्थित भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 25.657 है0 मंदिर श्री केशव जी के नाम से दर्ज है ओर इसकि नीलमी तहसीलदार लटेरी ने दिनांक 07.07.97 को की तथा प्रकरण अ0वि0अ0 सिरोंज को ट्स्टी

अधिकारी की हैसियत से नीलमी स्वीकृति हेतु भेजा। अ0वि0अ0 ने आदेश दिनांक 31.05.97 द्वारा नीलमी की स्वीकृति प्रदान की । इन आदेशों के विरूद्ध आवेदकगणों ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष पेशा की । कार्यवाही के दौरान 06.08.99 को आवेदकगण अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 35 3 के तहत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पेश किया तथा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी पेश किया जो अपर कलेक्टर ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा निरस्त किया। दसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है । द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप को सही नहीं समझा है और न ही अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाहन किया है । उक्त प्रकरण में तथ्यों के सम्बन्ध में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के एक निर्णयों को निरस्त करने में भूल की है । प्रार्थी ने साक्ष्य से मृतक का दत्तक पुत्र होना सिद्ध किया है। इसके विपरीत कोई खण्डन साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्रार्थी को दत्तक पुत्र मानने से इन्कार किया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में लिखित दस्तावेज होना कानूनन आवश्यक नहीं है । प्रार्थी की ओर से जो साक्ष्य प्रारंभिक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं जिन गवाहों के कथन कराये थे, उन पर बिना विचर किये ही आदेश पारित किया गया है । जिन गवाहों के कथनों पर विचार कर प्रारंभिक न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय ने आदेश पारित किया है वे कथन क्यों कर विश्वसनीय नहीं है का कोई कारण विवादित आदेश में नहीं बताया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल के भूमिस्वामित्व की भूमि पर उनके स्थान पर अनावेदकगण के साथा–साथ दत्तक पुत्र होने के कारण आवेदक मांगीलाल के नाम भी विवादित भूमि पर समान भाग पर नामांतरण स्वीकार कर दिया गया । विचारण न्यायलया

द्वारा आवेदक मांगीलाल को किस आधार पर अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र होना माना है, यह स्पष्ट नहीं है । विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका में कही भी ऐसा कोई प्रमाण अथवा लेखी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, जिसके अवलोकन से यह विश्वास किया जा सके कि मृतक कन्हैयालाल द्वारा आवेदक को गोद लिया गया हो अथवा दत्तक पुत्र माना गया हो । मात्र आवेदक के कहने मात्र से दत्तक सिद्ध नहीं हो सकता। आवेदक को प्रमाणित करना चाहिये था कि वह दत्तक पुत्र है, किन्तु आवेदक की ओर से कुछ भी ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वह भी दत्तक पुत्र है एवं उक्त विवादित भूमि का हकदार भी है । दत्तक पुत्र सिद्ध करने के लिये प्रमाणित अथवा सबूत का भार भी आवेदक पर ही था। न तो विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विचार किया गया और न ही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा ही इन बिन्दूओं पर कोई गौर किया गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक को अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र मान्य कर उसके नाम समान भाग पर विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । विवादित भूमि पर अभिलिखित भूमिस्वामी कन्हैयाल के स्थान पर उसकी वारिस दोनों पुत्रियों के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया है । ऐसे में अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक कन्हैयालाल के नाम के स्थान पर उसकी दोनों पुत्रियों का नामांतरण स्वीकार किये जाने योग्य है और अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई भी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

6/ ऊपर वर्णित तथ्यों के विवेचना के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत न होने से स्थिर रखे योग्य नहीं है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाख़िल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर